

# न्यायालय तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर

प्राथी

बनाम

विप्राथी

राजस्थान सरकार  
पटवारी हल्का हरखाली

देवाराम पुत्र मीठालाल  
जाति ब्राहमण निवारी नया वाटाडू

मुकदमा नम्बर 02/2018 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 12.09.2018

पत्रावली आज पेश हुई। विप्राथी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विप्राथी द्वारा संवत् 2075 में ग्राम नया वाटाडू के खसरा नम्बर 1381/612 रकबा 5.00 बीघा किरम गै. मु. अरपताल सरकारी भूमि में से रकबा 990 वर्ग फीट में अनाधृत रूप से चारों तरफ कच्चा झोपा बनाकर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा विप्राथी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश की। प्रकरण को रजिस्टर किया जाकर विप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस विप्राथी से तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्राथी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली व पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। खसरा नम्बर 1381/612 की भूमि सरकार की गै. मु. अरपताल भूमि है। विप्राथी द्वारा सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है। अतः विप्राथी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान 1 रु 50 गुणा जुर्माना रु 50/- अखरे पचास रूपये मात्र किया जाता है। जो विप्राथी से वसूल हो। विप्राथी को मोके से बेदखल करने भूमि का कब्जा बहक सरकार अने हेतु भूज. निरीक्षक व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो।

पटवारी हल्का व तहसील तहरील हाजा आदेश से सहमत है। पत्रावली फराल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय खुली अदालत सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को सुनाया गया।

  
तहसीलदार बायतु